राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– प. 11(29) गृह–10/2011 जयपुर, दिनांकः 07.01.2021

आदेश

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(11)न्याय/2018 दिनांक 15.10.2020 के द्वारा विशेष न्यायालय (राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जयपुर को विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–4, जयपुर एवं विशेष न्यायालय (राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जोधपुर को विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–2, जोधपुर के रूप में परिवर्तित कर सृजन किया गया है। विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–4, जयपुर एवं विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–2, जोधपुर में निम्न पदों का सृजन एतद्द्वारा किया जाता हैः–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पद नाम	पदों की संख्या	पे मेट्रिक्स लेवल
1	विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–4, जयपुर।	सहायक निदेशक अभियोजन	01	एल–15
		कनिष्ठ सहायक	01	एल–5
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवानिवृत/REXCO के माध्यम से)	01	एल–1
2	विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–2, जोधपुर।	सहायक निदेशक अभियोजन	01	एल–15
		कनिष्ठ सहायक	01	एल–5
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवानिवृत/REXCO के माध्यम से)	01	एल–1

विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–4, जयपुर एवं विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–2, जोधपुर में सहायक निदेशक अभियोजन, कनिष्ठ सहायक का पद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर (सेवानिवृत/REXCO के माध्यम से) वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. संख्या 102005532 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा सहमति प्राप्त कर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
7.1.21
(राजेन्द्र कुमार सैनी)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक, कार्य विभाग।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– IV) विभाग।
7. जिला कलक्टर जयपुर/जोधपुर।
8. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदो पर पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या–4, जयपुर/संख्या–2,जोधपुर।
10. समस्त उप /सहायक निदेशक अभियोजन।
11. संस्थापन्न राजपत्रित/मंत्रालयीक/चतुर्थ श्रेणी/ए.सी.आर. शाखा अभियोजन विभाग।
12. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
13. रक्षित पत्रावली।

07.1.21
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि